

राजस्थान सरकार
कार्यालय महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक एजी/संस्था/केंडर स्ट्रेन्थ/2022/1293 दिनांक :- 29/06/2022

विधि एवं विधिक कार्य विभाग (राजकीय वादकरण) पत्राक प. 7(3)राज/वाद/2022 जयपुर दिनांक 27.06.2022 के द्वारा महाधिवक्ता/ अति महाधिवक्ता कार्यालय मे दिनांक 01.04.2022 की स्थिति मे मंत्रालयिक सेवा के स्वीकृत पदों के पुर्नगठन कर संशोधित केंडर स्ट्रेन्थ की सहमति प्रदान की गयी है। जिसके क्रम मे विधि विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 11.09.2017 के अतिक्रमण में महाधिवक्ता राजस्थान के अधीनस्थ कॉलम संख्या 2 मे वर्णित कार्यालयों मे दिनांक 01.04.2022 की स्थिति मे कॉलम सं 3 से 6 मे वर्णितानुसार स्वीकृत पदों के स्थान पर दिनांक 01.04.2022 की स्थिति मे कॉलम सं 7 से 10 में वर्णितानुसार पुनर्गठन कर संशोधित केंडर स्ट्रेन्थ निम्नानुसार एतद्वारा स्वीकृत की जाती है।-

क्र० सं०	कार्यालय का नाम	दिनांक 01.04.2022 की स्थिति में स्वीकृत पदों की संख्या				दिनांक 01.04.2022 की स्थिति में पुनर्गठन कर संशोधित केंडर स्ट्रेन्थ /पदों की संख्या			
		कनिष्ठ सहायक	वरिष्ठ सहायक	सहा० प्रशा० अधि०	अति० प्रशा० अधि०	कनिष्ठ सहायक	वरिष्ठ सहायक	सहा० प्रशा० अधि०	अति० प्रशा० अधि०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	महाधिवक्ता कार्यालय जयपुर	12	3	2	1	9	5	3	1
2	महाधिवक्ता कार्यालय जोधपुर	7	2	1	1	6	2	2	1
3	महाधिवक्ता कार्यालय नई दिल्ली	1	-	-	-	1	-	-	-
योग		20	5	3	2	16	7	5	2

उक्त स्वीकृती वित्त (व्यय-5) विभाग की आई.डी. सं 332200356 दिनांक 09.06.2022 द्वारा प्रदत्त सहमति के आधार जारी की जाती है।

Sd
महाधिवक्ता
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक एजी/संस्था/केंडर स्ट्रेन्थ/2022/1293

दिनांक :- 29/06/2022

प्रतिलिपि निम्नांकित को सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. महालेखाकार राज० जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय।
3. शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, राजकीय वादकरण शासन सचिवालय जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव, वित्त(व्यय-5) विभाग।
5. लेखा शाखा कार्यालय हाजा।
6. प्रोग्रामर महाधिवक्ता कार्यालय जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. संशोधित पत्रावली।

कार्यालयध्यक्ष एवं अति० महाधिवक्ता,
राजस्थान, जयपुर।